## :: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर म.प्र. ::

क्रमांक / 06 /री.ए.डी.एम./ 2025 इन्दौर, दिनांक 02/01/2025

## :: आदेश ::

### ( भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 )

### (भिक्षावृत्ति रोकथाम के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश)

समाचार पत्रों एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति की जाती है। उक्त भिक्षावृत्ति से एक ओर जहां ये लोग भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगायें जाने संबंधी शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे है वही दूसरी ओर आम जन के सामान्य यातायात आदि में भी कही न कही बाधा उत्पन्न करते है। इन्दौर जिले में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्यों एवं शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते है, जिनमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है। भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त भी होते है। इसी तरह भिक्षावृत्ति कराने की आड़ में कई आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जाती है। ट्रैफिक सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। यह भी सर्वविदित है कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। शासन द्वारा भी भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि इन्दौर जिले में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के दल गठित किये गये है, जो लगातार भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे है। इस कार्यवाही का विभिन्न सोशल मीडिया, डिजीटल एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। भिक्षावृत्ति में लिप्त लगभग 354 वयस्क व्यक्तियों को रेसक्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा गया तथा लगभग 45 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान(CCI) भेजा गया है।

उक्त दिये गये निर्देशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत भिक्षावृत्ति रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई का निवारण अत्यन्त आवश्यक होने से मैं **आशीष सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा-163(1)(2)भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

**किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरुद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जावेगी।**

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा-163(2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है । कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा-163(5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा ।

यदि कही कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री दिनेश मिश्रा के मोबाईल नंबर 9691494951 पर दे सकता है, यदि सूचना सत्यापन के दौरान सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को रूपये 1000/- की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

यह आदेश दिनांक 02/01/2025 से दिनांक 28/02/2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

( आशीष सिंह )
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर.

District Magistrate
Distt. Indore (M.P.)

पृ0क्रमांक / 07 /री.ए.डी.एम./2024 इंदौर, दिनांक 02/01/2025

**प्रतिलिपि :-**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह सी विभाग भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. पुलिस आयुक्त इन्दौर।
4. पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक इन्दौर (देहात)
5. अति0 पुलिस आयुक्त, क्राईम-मुख्यालय/कानून व्यवस्था, इन्दौर।
6. आयुक्त नगर पालिक निगम इन्दौर ।
7. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/जोन-1,2,3,4/आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला इन्दौर।
8. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला इन्दौर।
9. अपर कलेक्टर /अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (समस्त) इन्दौर ।
10. अति0 पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/जोन-1,2,3,4/आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला इन्दौर।

11. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संयुक्त संचालक, सूचना एंव प्रकाशन विभाग इन्दौर की ओर समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी ...............................................................जिला इन्दौर
14. सहायक पुलिस आयुक्त, ...............................................नगरीय पुलिस, इन्दौर।
15. एस.डी.ओ.पी. पुलिस डॉ अम्बेडकर नगर (महू), सांवेर , देपालपुर
16. थाना प्रभारी थाना ................................................की ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी, कलेक्टोरेट इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर

कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
Distt. Indore (M.P.)